न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 09/23 तारीख रज्जू– 12/09/23

1. रामबाबू पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी नृसिंह कॉलोनी गंगापुर सिटी।
2. मोहनलाल पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी नृसिंह कॉलोनी गंगापुर सिटी।
3. श्याम सुन्दर पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी नृसिंह कॉलोनी गंगापुर सिटी।

–अपीलार्थी

बनाम

1. .सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी । –रेस्पोडेन्ट

उपस्थित
1. अधिवक्ता शिवचरण शर्मा – अपीलार्थी पक्ष
2. पेरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट पक्ष

निर्णय दिनांक 22.10.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 01/2020 में पारित निर्णय दिनांक 03/09/2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम महूकलां के आराजी ख0नं0 13 कुल रकबा 0.83 है0 किस्म मंदिर माफी में से 40 x 20 वर्गफीट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पांच पक्की दुकान का निर्माण करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मंगवाये जाने मौका रिपोर्ट पर उभय पक्ष बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस तर्क दिया कि उनवानी प्रकरण में पटवारी हल्का महुकलां ने प्रार्थी अपीलार्थी की दुकाने जो बुजुर्गो के समय से बनी हुयी है को भूमि खं0न0 13 स्थित महुकलां में मंदिर श्री नृसिंह

22/10/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

की खातेदारी में होने का कथन कर रिपोर्ट पेश की है। जबकि उक्त दुकानें खं0नं0 13 महुकलां में नहीं होकर नगर परिषद् गंगापुर सिटी नगर न्यास स्कीम सं0 3 नामनेर गंगापुर सिटी में स्थित है। जो अपीलार्थीगण के बुजुर्गों की नियमन शुदा हैं। अपीलार्थी द्वारा नगर परिषद् से रिकोर्ड प्राप्त करने पर स्कीम नं0 3 के नक्शा से यह तथ्य प्रकट होता है कि वादग्रस्त दुकाने नामनेर गंगापुर सिटी में स्थित है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने वादग्रस्त दुकानों की मौका रिपोर्ट नगर परिषद् गंगापुर सिटी से तलब करने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त वादग्रस्त दुकाने ग्राम महुकलां में स्थित है तथा मन्दिर माफी की भूमि है। अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि महुकलां में नहीं होकर नगर परिषद गंगापुर सिटी नगर न्यास स्कीम सं0 3 नामनेर गंगापुर सिटी में स्थित है तथा स्कीम नं0 3 के नक्शा से यह तथ्य प्रकट होता है कि वादग्रस्त दुकाने नामनेर गंगापुर सिटी में स्थित है। जबकि अपीलार्थी द्वारा स्वंय अपनी अपील में उक्त वादग्रस्त भूमि खं0नं0 13 में होना स्वीकार किया है , साथ ही पेरोकार सरकार ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई,उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस उक्त विवादित भूमि स्कीम नं0 3 नामनेर गंगापुर सिटी में होना अवगत कराया है तथा उक्त विवादित भूमि स्कीम नं0 3 नामनेर में होने संबंधित कोई दस्तावेज/राजस्व रिकोर्ड प्रस्तुत न कर केवल स्कीम नं0 3 का नक्शा प्रस्तुत किया है । वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। उक्त अपील में अपीलार्थी द्वारा मद संख्या 5 में अंकित किया हुआ है कि मूर्ति मंदिर नृसिंह जी विराजमान गंगापुर सिटी की भूमि खं0नं0 13 रकबा 0.83 है0 स्टेशन रोड गंगापुर सिटी पर स्थित है। जिसमें आबादी बनी हुई है तथा सड़क के सहारे पुख्ता दुकाने बनी हुई है जो काफी पुरानी है। वकील अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में पृथक–पृथक विरोधाभास कथन कहे गये है तथा उक्त पत्रावली आदेशिका दिनांक 06.10.2021 के अनुसार दौराने बहस विचाराधीन है। लेकिन अपीलार्थी पक्ष द्वारा लगभग 2 वर्ष 5 माह पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी पक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण में बिलम्ब करने के उद्देश्य तथा न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 26/06/2020 को पटवारी हल्का द्वारा एक पत्र अदालत मातहत के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उक्त वाद आराजीयात खं0नं0 13 में अपीलार्थी द्वारा पांच दुकानें नवीन बनाकर बेचान की तैयारी कर रहे है। उक्त प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थीगण का जबाब प्रस्तुत होने पर पुनः अपने पत्रांक

22/10/24
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

राजस्व/2020/1158 दिनांक 24.07.2020 द्वारा पटवारी हल्का को उक्त वाद आराजीयात की मौके की वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया था। जिस क्रम में पटवारी हल्का द्वारा पुनः दिनांक 02/09/2020 को उक्त वाद आराजीयात की मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलार्थी द्वारा अवैध नवीन पांच दुकानों का निर्माण करना पाया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा उक्त वाद आराजीयात की दो बार मौका रिपोर्ट तलब की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मौका रिपोर्ट तलब हेतु खारिज किया जाता है। तत्पश्चात् उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.09.2020 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया मात्र पटवारी हल्का जिसके द्वारा गलत एवं झूँठी रिपोर्ट पेश की गई थी तथा उसी पटवारी से एकतरफा मौका रिपोर्ट मंगवाकर उसके आधार पर अतिचारी मानकर पुराने निर्माण को ध्वस्त करने एवं बेदखल करने का अवैध आदेश प्रदान किया है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का एवं भू निरीक्षक की रिपोर्ट का भी सही ढंग से अवलोकन नहीं किया है, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2020 में भेरूजी मंदिर एवं नृसिंह मंदिर की जमीनों को बेचने के बारे में टाईटल में अंकन किया है परन्तु पात्र श्री नृसिंह जी मंदिर के खसरा नम्बर 13 का हवाला दिया है ,जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र दुर्भावना से पेश किया है। यह सही है कि मूर्ति मंदिर नृसिंह जी विराजमान गंगापुर सिटी की भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 0.83 है0 स्टेशन रोड, गंगापुर सिटी पर स्थित है। जिसमें आबादी बनी हुई है तथा सड़क के सहारे पुख्ता दुकानें बनी हुई है, जो काफी पुरानी है। अपीलार्थी मंदिर श्री नृसिंह जी के पुजारी एवं सेवक है उक्त दुकाने अपीलार्थीगण के बुजुगों के समय से बनी हुई है जिनकी आमदनी से मंदिर नृसिंह जी के भोग राग एवं मंदिर की व्यवस्था होती है । दुकाने काफी पुरानी होने से जीर्ण शीर्ण हो गयी दिनांक 13/07/2018 को बरसात के कारण अचानक छज्जे टूट गये जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई । आगे कोई जनहानि नहीं हो , इस कारण से उक्त दुकानों की अपीलार्थी द्वारा मरम्मत करवायी गयी थी कोई नवीन कार्य नहीं किया गया था। यें दुकाने शुरू से ही संचालित रही है तथा कई किरायेदारों को किराये से भी दी गई है, उक्त दुकानों एवं मकानात की भूमि को पूर्व में नगर सुधार अधिनियम 1954 के अधीन आवाप्ति की कार्यवाही की गई थी जिसे अपीलार्थी के बुजुगों द्वारा अवाप्ति से मुक्त करवायी गई और उक्त भूमि के नियमन होने के पश्चात् नगर पालिका गंगापुर सिटी में राशि जमा करवायी गई थी, इस प्रकार उक्त भूमि बुजुर्गों के समय से ही दुकाने बनी हुई है। अपीलार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया है परन्तु अदालत मातहत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित

22/10/24
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

किया है जो निरस्त योग्य है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि उक्त भूमि का नियमन आदेश हमारे नाम हुआ है तथा उक्त विवादित भूमि का नवीन खसरा नम्बर 68, 68/2 बने। खं0नं0 68 नगर न्यास की स्कीम नं0 3 में चला गया है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजी ग्राम महूकलां के खं0नं0 13 में स्थित है। जिसकी किस्म मन्दिर माफी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि .अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया. है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी का यह कथन कि उक्त वादग्रस्त भूमि खं0नं0 13 ग्राम नामनेर में न होकर स्कीम नं0 3 में है। उक्त क्रम में अपीलार्थी द्वारा केवल स्कीम नं0 3 का नक्शा प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई अन्य दस्तावेज/साक्ष्य/राजस्व रिकोर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त वादग्रस्त भूमि स्कीम नं0 3 में हो। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया है। उक्त अपील के मद सं0 5 में अपीलार्थी स्वयं ने स्वीकार किया है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि खं0नं0 13 ग्राम महूकलां में स्थित हैं, साथ ही अपीलार्थी पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मन्दिर माफी में स्थित नहीं है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/10/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)